संख्या–6 एस० एस०(6)11/2016– ...2323../

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक–26/05/2025.

XX
अनौपचारिक रूप सेपरामर्शित।

XX

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रुपये 47.976 लाख (सैंतालीस लाख सत्तानबे हजार छः सौ रु०) मात्र की लागत व्यय पर केन्द्र प्रायोजित–प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत राज्य के मछुआरों/ मत्स्य पालकों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना (GAIS) की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या–3051, दिनांक–24.06.2024 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में केन्द्र प्रायोजित–प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), सामूहिक जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (Group Janta Personal Accident Policy) एवं विशेष आकस्मिक पॉलिसी (Special Contingency Policy) की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा योजना कार्यान्वित की गई। उक्त सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना (GAIS) के सफल क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद नोडल एजेंसी घोषित है। मत्स्य प्रक्षेत्र के लिए यह एक महत्वपूर्ण योजना है जिसे आगे भी चालू रखा जाना नितान्त आवश्यक है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2025–26 में रुपये 47.976 लाख (सैंतालीस लाख सत्तानबे हजार छः सौ रु०) मात्र की लागत व्यय पर उक्त केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना (GAIS) के तहत मछुआरों/मत्स्य पालकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), सामूहिक जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (GAIS-GJPA) एवं विशेष आकस्मिक पॉलिसी योजना (GAIS-SCP) की स्वीकृति प्रदान की गई है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद के पत्र संख्या–NFDB/DIV1/PMMSY/GAIS/2025-26, दिनांक–08.05.2025 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के 1.50 लाख मछुआरों/मत्स्य पालको को उक्त बीमा योजनान्तर्गत दिनांक 01.06.2025 से 31.05.2026 तक के समय अवधि के लिए बीमा कभरेज प्रदान की जाती है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी–I संलग्न है।

2) इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के मछुआ/मत्स्य पालको जो मत्स्य व्यवसाय के जोखिम भरे कार्य में संलग्न हैं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत तीन प्रकल्पों यथा–प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), सामूहिक जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (GAIS-GJPA) एवं विशेष

आकस्मिक पॉलिसी योजना (GAIS-SCP) के माध्यम से मछुआरों को सुरक्षा संबंधी लाभ दी जायेंगी।

3) इस सामूहिक दुर्घटना बीमा (GAIS) योजनान्तर्गत आच्छादित होने वाले राज्य के सक्रिय मछुआ/मत्स्यपालकों का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष तथा अधिक्तम उम्र 70 होगा।

4) इस योजनान्तर्गत आच्छादित बीमित मछुआ/मत्स्यपालकों के किसी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना में (i) मृत्यु/(ii) पूर्ण अपंगता होने की स्थिति में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) तथा सामूहिक जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (GAIS-GJPA) के तहत बीमा कंपनी द्वारा क्रमशः (i) उनके आश्रित/(ii) उक्त बीमित व्यक्ति को ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रुपया मात्र) की राशि भुगतान की जाएगी।

5) इस योजनान्तर्गत आच्छादित बीमित मछुआ/मत्स्यपालकों के किसी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना में स्थाई रूप से आंशिक अपंगता होने की स्थिति में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) तथा विशेष आकस्मिक पॉलिसी योजना (GAIS-SCP) के तहत बीमा कंपनी द्वारा उक्त बीमित व्यक्ति को ₹ 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रुपया मात्र) की राशि भुगतान की जाएगी।

6) इस योजनान्तर्गत आच्छादित बीमित मछुआ/मत्स्यपालकों के किसी प्रकार आकस्मिक दुर्घटना में चिकित्सा हेतु अस्पताल में भर्ती (Accidental Hospitalisation) होने पर विशेष आकस्मिक पॉलिसी योजना (GAIS-SCP) के तहत बीमा कंपनी द्वारा उक्त बीमित व्यक्ति को चिकित्सा व्यय के लिये ₹ 25,000.00 (पच्चीस हजार रु० मात्र) की राशि नियमानुसार भुगतान की जाएगी।

7) इस योजनान्तर्गत राज्य के सक्रिय मछुआरों/मत्स्यपालकों को बीमा कभरेज (coverage) प्रदान करने हेतु प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), सामूहिक जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (GAIS-GJPA) एवं विशेष आकस्मिक पॉलिसी योजना (GAIS-SCP) के तहत प्रति व्यक्ति वार्षिक प्रीमियम क्रमशः रुपये 20.00 (बीस रु० मात्र), रुपये 55.96 (पचपन रु० छियानबे पैसा मात्र) तथा रुपये 4.00 (चार रु० मात्र) अर्थात कुल रुपये 79.96 (उनासी रु० छियानबे पैसा मात्र) निर्धारित है जिसका 60:40 अनुपात में व्यय भार क्रमशः भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा राज्य के 1.50 लाख मछुआरों/मत्स्य पालको को उक्त बीमा योजनान्तर्गत बीमा कभरेज (coverage) प्रदान करने हेतु रुपये 47.976 लाख (सैंतालीस लाख सत्तानबे हजार छः सौ रु०) मात्र राज्यांश अंशदान राशि के रूप में वहन किया जायेगा। प्रीमियम के रूप में लाभुकों से कोई राशि नहीं ली जाएगी।

8) निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद से रुपये 47.976 लाख (सैंतालीस लाख सत्तानबे हजार छः सौ रु०) मात्र राज्यांश अंशदान राशि का विपत्र/प्री–रिसीट प्राप्त कर बिहार कोषागार संहिता के सुसंगत अनुमान्य प्रपत्र पर सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से उक्त राशि को आहरित कर आर०टी०जी०एस०/एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से राष्ट्रीय

मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद के बैंक खाता में उपलब्ध कराया जायेगा जिसका विवरणी निम्नवत है–

(i)	Name of the Account Holder	National Fisheries Development Board
(ii)	Account No.	110311010000004
(iii)	Name of the Bank	Union Bank of India
(iv)	Name of the Branch	Secretariat Branch, Hyderabad
(v)	IFSC Code	UBIN0811033

तत्पश्चात उक्त राशि को राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद द्वारा बीमा कंपनी को उपलब्ध कराई जाएगी।

9) इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा अपना केन्द्रांश अंशदान राशि सीधे राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद के माध्यम से बीमा कंपनी को उपलब्ध कराई जाएगी।

10) इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद नोडल एजेंसी घोषित है।

11) इस योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले बीमा दावों के निस्तार हेतु ससमय प्रस्तुत करने हेतु राज्य के सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पूर्ववत् अभिप्रमाणी पदाधिकारी घोषित रहेंगे।

12) इस योजना का लाभ राज्य के उन्ही मछुआरों/मत्स्य कृषकों को देय होगा, जिनका निर्धारित विहित प्रपत्र में वांछित विवरणी राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद के पास उपलब्ध होगा।

13) वित्तीय वर्ष 2025–26 में इस योजना के तहत होने वाले व्यय मांग संख्या–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –अन्तर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0319 –नीली क्राति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०), विपत्र कोड 02–2405001010319 के विषय शीर्ष–0319.32.01–अंशदान मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

14) इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना पूर्णरूपेण जवाबदेह होंगे तथा योजना में लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अपने अधीनस्थ कार्यकारियों को अपेक्षित दिशा–निर्देश जारी करेंगे ताकि योजनान्तर्गत शत्–प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हो सके।

15) निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना इस स्कीम के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

16) वर्णित योजना के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होती है तो विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव की अनुमति से निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा आवश्यक संशोधन/दिशा–निर्देश निर्गत किया जाएगा।

17) यह एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है। इस स्कीम का लागत मूल्य ₹ 5.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान एवं प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)11/2016 के पृष्ठ–88/टि०, दिनांक–22.05.2025.

18) राज्यादेश प्रारूप में विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)11/2016 के पृष्ठ–87/टि०, तथा डायरी संख्या–252, दिनांक–21.05.2025.

19) वित्त विभाग के पत्र संख्या–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,
26/5/25

(गीता सिंह)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)11/2016–2323/ पटना–15, दिनांक–26/05/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/5/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)11/2016–2323/ पटना–15, दिनांक–26/05/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना एवं बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/5/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)11/2016–2323/ पटना–15, दिनांक–26/05/2025.

प्रतिलिपिः–अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्य कार्यपालक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB), पिलर नम्बर– 235, पी०वी०एन०आर० एक्सप्रेस वे, पोस्ट–एन०बी०पी०एन०पी०ए०, हैदराबाद–500052 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/5/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)11/2016–2323/ पटना–15, दिनांक–26/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/सभी संयुक्त मत्स्य निदेशक/सभी उप मस्त्य निदेशक/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/5/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(6)11/2016–2323/ पटना–15, दिनांक–26/05/2025.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ मत्स्य निदेशालय के योजना शाखा/बजट शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/5/25
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः—6 एस०एस०(6)11/2016—2323/ पटना—15, दिनांक—26/05/2025.

प्रतिलिपिः— अनुलग्नक की प्रति के साथ विभाग के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा कार्यवाह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः—6 एस०एस०(6)11/2016—2323/ पटना—15, दिनांक—26/05/2025.

प्रतिलिपिः— अनुलग्नक की प्रति के साथ महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः—6 एस०एस०(6)11/2016—2323/ पटना—15, दिनांक—26/05/2025.

प्रतिलिपिः—अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक (मात्स्यिकी एवं प्रसार), मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

26/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः—6 एस०एस०(6)11/2016—2323/ पटना—15, दिनांक—26/05/2025.

प्रतिलिपिः— अनुलग्नक की प्रति के साथ अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

26/5/25

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांकः—6 एस०एस०(6)11/2016—2323/ पटना—15, दिनांक—26/05/2025.

प्रतिलिपिः— अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेत सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/5/25

सरकार के अपर सचिव

व्यय विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2025–26 में केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना (GAIS) हेतु बजट शीर्ष, योजनावार, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, व्यय हेतु स्वीकृत राज्यांश अंशदान की राशि की विवरणी :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	योजना का नाम	व्यय हेतु स्वीकृत राज्यांश अंशदान राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –अन्तर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0319 –नीली क्राति : समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन (प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना) (पी०एम०एम०एस०वाई०), विपत्र कोड–02–2405001010319	0319.32.01– अंशदान	(क) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)	12.00	निदेशक, मत्स्य बिहार, पटना।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन पटना।
			(ख) सामूहिक जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (GAIS-GJPA)	33.576		
			(ग) विशेष आकस्मिक पॉलिसी योजना (GAIS-SCP)	2.40		
			योग :–	47.976		

कुल (सैंतालीस लाख सत्तानबे हजार छः सौ रु०) मात्र।

2323
26/05/25

26/5/25

सरकार के अपर सचिव